माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1959 / 08 / प्रशा0 / MSU / 2024–25 दिनांक 25-03-25

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्य

सम्बद्ध महाविद्यालय

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जाति / सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थानों से ग्रेडिंग का विवरण प्राप्त कर परीक्षण करते हुये निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्या–सी–5034 / स0क0 / छात्र0 / 2024–25, दिनांक 11.03.2025 के साथ संलग्न निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–सी–4916 / स0क0 / शिक्षा–अ / 9 / 602–2 (ख) / 2024–25, दिनांक : 07 मार्च, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 से केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र / राज्य / निजी / डीम्ड आदि सभी शिक्षण संस्थानों को NAAC (National Assessment & Accreditaion Council and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025–26 से उक्तानुसार ग्रेडिंग प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025–26 शिक्षण सत्र में NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त संस्थानों मे अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं को ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के संलग्न पत्र में उल्लिखित दिशा–निर्देश के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में यदि महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)

कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, लखनऊ।
02 निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
03. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
04. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर।
05 निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज।
06. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सहारनपुर एवं मेरठ मण्डल।
07. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति महोदया के सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव

ई मेल
अति महत्वपूर्ण

कार्यालयः– जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर।

पत्रांक C-5634/स0क0/छात्र0/2024–25/दिनांक 11/03/2025

प्राचार्य/डायरेक्टर, (राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी क्षेत्र)
समस्त डिग्री/लॉ/मैनेजमेंट/इंजीनियरिंग/मेडिकल/नर्सिंग/पैरामेडिकल/
बी0एड0/बी0टी0सी0/पालीटैक्नीक/आई0टी0आई0
एवं राजकीय व निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय,
जनपद सहारनपुर।

विषय – वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थानों से ग्रेडिंग का विवरण प्राप्त कर परीक्षण करते हुये निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण,उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 सी–4916 दिनॉक 07/03/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली कि नियमावली के नियम-6 (xvii) (क) एवं (ख) में प्राविधान है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र/राज्य/निजी/डीम्ड आदि सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को NAAC (National Assessment & Accreditation Council and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 से उक्तानुसार ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 शिक्षण सत्र से NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य है।

उक्त पत्र के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद में स्थित तथा मास्टर डाटा में AISHE Code वैलिडेशन के उपरांत सम्मिलित समस्त शिक्षण संस्थानों से उक्तानुसार ग्रेडिंग का विवरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च तक प्राप्त कर संरक्षित कर लिया जाय तथा अपने स्तर पर परीक्षण करते हुए संस्थावार ग्रेडिंग सम्बन्धी अभिलेख दिनांक 02-04-2025 तक निदेशालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त निर्देशो के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अपने संस्थान की सूचना संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक दशा में 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि संकलित सूचना को समयान्तर्गत निदेशालय प्रेषित किया जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार प्रारूप।

भवदीय
(अर्चना)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
सहारनपुर।

पृ0 सं0 /तद्‌दिनॉक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू सादर प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, सहारनपुर ।
4. नोडल, उच्च शिक्षा, सहारनपुर मंडल, सहारनपुर।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
सहारनपुर।

Sh. Ankit
18/3/25

716

निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश

पत्रांक- C- 4916 /स०क०/शिक्षा-अ/9/602-2 (ख)/2024-25

लखनऊ दिनांक 07 मार्च, 2025

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समस्त शिक्षण संस्थानों से ग्रेडिंग का विवरण प्राप्त कर परीक्षण करते हुए निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्रांक- C-4649 दिनांक 24-02-2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा 14 बिन्दुओं पर ध्यानाकर्षण कराते हुए नियमावली के समस्त नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं के डाटा पर जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर से समयान्तर्गत निर्णय लेने एवं नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

अवगत कराना है कि निदेशालय पत्र दिनांक 24-02-2025 के बिन्दु संख्या-11 में उल्लिखित है कि नियमावली के नियम-6 (xvii) (क) एवं (ख) में प्राविधान है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र/राज्य/निजी/डीम्ड आदि सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को NAAC (National Assessment & Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 से उक्तानुसार ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 शिक्षण सत्र से NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य है।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में स्थित तथा मास्टर डाटा में AISHE Code वैलिडेशन के उपरांत सम्मिलित समस्त शिक्षण संस्थानों से उक्तानुसार ग्रेडिंग का विवरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च तक प्राप्त कर संरक्षित कर लिया जाय तथा अपने स्तर पर परीक्षण करते हुए संस्थावार ग्रेडिंग सम्बन्धी अभिलेख दिनांक 02-04-2025 तक निदेशालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कुमार प्रशान्त)

प्र० निदेशक

संस्था का नाम:-

क्रम संख्या	संचालित पाठ्यक्रम का नाम	NAAC/NBA प्रमाण पत्र के जारी होने की अवधि	NAAC/NBA प्रमाण पत्र के समाप्त होने की अवधि	NAAC/NBA certificate की छाया प्रति